जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 70वीं बैठक दिनांक 08-10-2004 को सायं 4.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) एवं एजेण्डा सं0 2 से 3 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री संग्राम सिंह, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- गुलाबबाडी गृ.नि.स.समिति की योजना लॉयन्स लेन सेक्टर 2 के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) की टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। योजना में केवल लगभग 25% भूखण्डों पर निर्माण किया हुआ है एवं आवासीय क्षेत्रफल 69.26% एजेण्डा में दर्शित किया गया है जबकि सुविधा क्षेत्र नगण्य है अतः समिति से सुविधा क्षेत्र सृजित किया जाकर संशोधित मानचित्र लिया जावे।

एजेण्डा सं0 2 :- अमृतपुरी विकास गृ0नि0स0स0 की योजना विप्र विहार, मनोहरपुरा के अनुमोदन के संबंध में।

समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र को निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. योजना के उत्तर में सडक की चोडाई सेक्टर प्लान के अनुसार 60'-0'' रखी जावे
2. नाले की चोडाइ जोन के प्रस्ताव अनुसार 90'-0'' रखी जावे।
3. भूखण्ड संख्या 86 में सैटबैक छोडने के पश्चात आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नही होता है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।

4. समिति ने सवाई चक भूमि के 1 से 10 दुकाने व 57 से 61 आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किए है इसलिए सवाई चक भूमि की राशी नियमानुसार ली जावे।
5. संशोधित योजना मानचित्र पर सहकारी समिति के सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर सुनिश्चित किए जावे तथा जिन भूखण्डधारियों के भूखण्डो की स्थिति में परिवर्तन हुआ है उन भूखण्डधारियों की सहमति ली जावे।
6. दुकान संख्या 7 से 10 के सामने 30' चोडी सडक नहीं मिलती है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जाये।

एजेण्डा सं0 3 :- शान्ती गृ.नि.स. समिति की योजना हरदेव कालोनी, टोंक रोड के संबंध।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श को निम्न शर्तो के साथ योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. उपायुक्त जोन ने बताया कि इस योजना में खातेदारान के साथ इकरारनामा माधव गृ0नि0स0स0 के साथ किया गया लेकिन योजना शान्ति गृ0नि0स0स0 द्वारा प्रस्तुत की गयी है लेकिन धारा 90-बी की कार्यवाही में सार्वजनिक सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से जारी की जा चुकी है और कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना उपायुक्त जोन ने बताया है। परिणामस्वरूप भूमि ज.वि.प्रा. में निहित हो चुकी है। अत: अनुमोदन किया जावे।
2. एयर पोर्ट के साथ साथ 7.25 मी0 (25') का कोरिडोर छोडा जावे जिसके कारण भू0 सं0 28, 29 ए, 30 को अस्वीकार किया जावें।
3. 30'-0'' से कम चोडी सडको को 30'-0'' किया जावें।
4. आवासीय क्षेत्रफल 30'-0'' सडक करने के पश्चात 63.75% है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता दी जावे।
5. भूखण्ड संख्या 8 में रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए इसको अस्वीकृत किया जावे।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 159
दिनांक :- 01\11\04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।